प्रेस विज्ञप्ति
04.04.2025

अपराध के आगमों (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मैसर्स आईटीसीओएल) के मामले में बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले संघ को 289 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिला दी है।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की सीआईडी द्वारा मेसर्स आईटीसीओएल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेसर्स आईटीसीओएल के निदेशकों ने विभिन्न कंपनियों के अन्य आधिकारिक कर्मचारियों और सीए के साथ मिलीभगत करके बैंकों के एक संघ से लिए गए ऋणों की हेराफेरी की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स आईटीसीओएल ने वर्ष 2009 से 2013 तक बैंकों के समक्ष जाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके और नकली/शेल कंपनियों को फर्जी बिक्री दिखाकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से ऋण प्राप्त किया था। इसके अलावा, मेसर्स आईटीसीओएल द्वारा प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, ईडी ने वर्ष 2019 में 289 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। इन कुर्क संपत्तियों में शामिल हैं:

1. अचल संपत्तियों में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और नई दिल्ली के हौज खास में जमीन के टुकड़े, जिनकी कीमत 190.95 करोड़ रुपये है।

2. चल संपत्ति में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित प्लांट और मशीनरी शामिल हैं, जिनकी कीमत 97.96 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, धन शोधन के अपराध के वास्तविक वैध दावेदारों और पीड़ितों को अपराध के आगमों (पीओसी) को पुनर्स्थापित करने/ बहाल करने के पीएमएलए के इरादे पर विचार करते हुए, ईडी ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से जुड़ी संपत्ति को मुक्त करने के लिए माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), शिमला के समक्ष अनापत्ति प्रस्तुत की।
ईडी के पूर्वोक्त प्रस्तुतीकरण के आधार पर, माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), शिमला ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 289 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की कुर्क अचल और चल संपत्तियों को वापस दिलाने का आदेश पारित करने की कृपा की।